

२०/०७/२२

पत्रावली पेश हुई। उक्तपक्षकाराग
उपस्थित, जर्जना-पत्र पर बहस सुनी,
जार्ज अग्रियवक्ता ने तर्क किया कि
वाद/जर्जना-पत्र में वरिष्ठ कारणों
जर्जनाग की कारणों हैं जो अजार्जों
के हिलने में गलत तरीके से दर्ज
हुई हैं अतः अंतरिम निवेद्याज्ञा को
मूलवाद के निस्तारण तक कंफर्म किया
जाये।

अजार्ज अग्रियवक्ता ने तर्क किया
कि जर्जना-पत्र में वरिष्ठ कारणों
उनकी जातेदारी कोरतकारी हैं जार्जों
का न तो कोई एक हिस्सा है न ही
को जातेदार हैं अतः जर्जना-पत्र
खारिज किया जाये।

उक्त उक्तपक्षकारों की
बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों का अध्ययन किया जार्जों
का जर्जना-पत्र जोषणीय नहीं होने
से खारिज किया जाता है पत्रावली
पेशाल-शुमार की राखिल दफतार की
मूल वाद के साथ खिलान की
लेखना से करे है।

(Signature)

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर